कार्यालय विशेष प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,(कैम्पा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष–कार्यालय 0755–2674234, ई–मेल pccfcampa@mp.gov.in

क्रमांक/नि0स/2018/391/570 भोपाल, दिनांक 9.4.18

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं
क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः– क्षतिपूर्ति रोपण योजना के प्रभावी कियान्वयन बावत।
संदर्भः– दिनांक 03.04.2018 को जबलपुर में तृतीय पक्ष मूल्यांकन के संबंध में बैठक।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक 3.4.2018 को जबलपुर में तृतीय पक्ष से मूल्यांकन के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें **Society for Resource Planning Development and Research, Bhopal** द्वारा रीवा, शहडोल एवं जबलपुर वन वृत्तों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण एवं तत्संबंधी चर्चा के दौरान निम्नानुसार तथ्य मुख्यतः परिलक्षित हुयेः–

1. आस्थामूलक कार्य रोपण योजना के कियान्वयन से पूर्व किया जाना है परंतु अनेक स्थलों पर इनका कियान्वयन आदिनांक तक नही किया गया है। इससे ग्रामीणों की आस्था प्रभावी ढंग से वृक्षारोपण से नही जुड़ पा रही है।
2. भू–जल संरक्षण के कार्य जलवायु परिवर्तन के वर्तमान समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनका कियान्वयन भी कई स्थलों पर परियोजना अनुसार नही किया गया है।
3. विभिन्न वन अधिकारियों द्वारा रोपण के निरीक्षण के समय संबंधित निरीक्षण पुस्तिका में टीप अंकित नही की जाती है। अधिनस्थों को स्पष्ट निर्देश प्रसारित करने तथा इनका कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह टीप अत्यंत आवश्यक अभिलेख हैं।

4. योजना के कियान्वयन के पूर्व ग्रामीणों की औपचारिक बैठक लेकर योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाये तथा योजना के कियान्वयन में नियमानुसार उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

5. रोपण हेतु प्रजातियों के चयन के समय स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लिया जाये तथा यथा संभव उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रजातियों का चयन किया जाये।

6. योजना का **Social Audit** कराया जाना निर्देशानुसार आवश्यक है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रचलित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

7. रोपण स्थल पर बोर्ड लगाया जाकर योजना की विस्तृत जानकारी इस पर अंकित करें। इसमें योजना की कुल राशि तथा समयावधि, स्पष्टतः देना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करें तथा पत्र को अधिनस्थ अमले तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

9.4.18

(एम0के0सपरा)
विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0/नि0स/2018/ 571 **भोपाल, दिनांक** 9.4.18

प्रतिलिपिः–

- समस्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि अपने प्रवास के दौरान उपरोक्त निर्देशों के कियान्वयन की समीक्षा भी सुनिश्चित करें।
- समस्त वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल तथा राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9.4.18

विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)
मध्यप्रदेश, भोपाल